उत्तर प्रदेश ब्यायलर निरीक्षण विभाग

प्रपत्र 'ग'

————————

(कोषागार रसीद नत्थी है)

संख्या——————————————　　　　　　　　　　　　　　　　　　दिनांक————————————————19

à ब्यायलर पंजीयन संख्या———————————————————　　　　　　　　प्रमाण—पत्र संख्या——————————

इण्डियन ब्यायलर्स ऐक्ट, 1923 (ऐक्ट संख्या 5, 1923) के अधीन ब्यायलर के पंजीयन निरीक्षण या स्थानान्तरण हेतु प्रार्थना—पत्र

————————

किसी ब्यायलर के पंजीयन के लिए विनियम 4 के अनुसार डायमेन्शन्ड ड्राइंग तथा परीक्षण के प्रमाण—पत्र भेजना चाहिये।

ब्यायलर **à à**			स्वामी या कम्पनी का नाम	जहां स्थित है, उसका निकटतम रेलवे स्टेशन और दूरी	दिनांक जब प्रमाण—प्रत्र समाप्त होता है	निरीक्षण के लिए वांछित दिनांक	दस दिन के नोटिस की आवश्यकता यदि नहीं तो कितने दिनों को नाटिस की आवश्यकता है	किए गए कार्य का विवरण	कोषागार रसीद			अभ्युक्ति
ब्यायलर उत्कीर्ण पंजीयन संख्या	विवरण	ब्यायलर रेटिंग (पीछे देखें)							कोषागार का नाम	रसीद संख्या और दिनांक	जमा की गई धनराशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

à ये इन्दराज ब्वायलर निरीक्षक के कार्यालय द्वारा भरे जायेंगे।

à à प्रत्येक ब्वायलर के लिए पृथक् प्रपत्र का प्रयोग किया जाना चाहिये।

यदि ब्वायलर अन्य राज्य से इस राज्य में स्थानान्तरित किया गया है तो उपर्युक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित विवरण भी दिये जायं :–

1–उस व्यक्ति या फर्म का नाम और पता जिससे ब्वायलर खरीदा गया है। ————————————————————————

————————————————————————

2–उस स्वामी का नाम और पूरा पता जिसे अन्तिम बार प्रमाण–पत्र दिया गया था। ————————————————————————

————————————————————————

3–प्रमाण–पत्र या अस्थायी आदेश, जो इस समय लागू हो और जिसके अन्तर्गत ब्वायलर चलाया जा रहा हो। ————————————————————————

मैं एतद्द्वारा मुख्य ब्वायलर निरीक्षक, उत्तर प्रदेश, कानपुर की ऊपर उल्लिखित ब्वायलर के पंजीयन/निरीक्षण/स्वामित्व संक्रमण (जो लागू न हों, उन्हें काट दिया जाय) और एक प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए प्रार्थना–पत्र देता हूं, जिसके लिये सरकारी कोषागार में अपेक्षित शुल्क जमा कर दिया गया है और कोषागार चालान संलग्न है।

स्थान————————— स्वामी या एजेन्ट के हस्ताक्षर——————————————

————————————————————————

दिनांक————————— (बड़े अक्षरों में नाम)

शुल्क मान

1—ब्वायलरों के पंजीयन के लिए शुल्क इण्डियन ब्वायलर्स रगूलेशन्स, 1950 के विनियम 385 के अनुसार लाया जाता है।
2—ब्वायलरों के निरीक्षण के लिए शुल्क निम्नलिखित सारिणी के अनुसार लिया जाता है :—

ब्वायलर रेटिंग					निरीक्षण शुल्क
					रू0
ब्वायलर रेटिंग के लिए जो	10	वर्ग मीटर से अधिक न हो			250
,,	10	वर्ग मीटर से अधिक हो, किन्तु	30	वर्ग मीटर से अधिक न हो	320
,,	30	,,	50	,,	360
,,	50	,,	70	,,	440
,,	70	,,	90	,,	520
,,	90	,,	110	,,	600
,,	110	,,	200	,,	680
,,	200	,,	400	,,	760
,,	400	,,	600	,,	880
,,	600	,,	800	,,	960
,,	800	,,	1000	,,	1180
,,	1000	,,	1200	,,	1280
,,	1200	,,	1400	,,	1440
,,	1400	,,	1600	,,	1680
,,	1600	,,	1800	,,	1890
,,	1800	,,	2000	,,	2000
,,	2000	,,	2200	,,	2160
,,	2200	,,	2400	,,	2400
,,	2400	,,	2600	,,	2520
,,	2600	,,	2800	,,	2720
,,	2800	,,	3000	,,	2880

3000 वर्ग मीटर से अधिक प्रत्येक 200 वर्ग मीटर या उसके किसी भाग के लिये 100 रू0 अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा।

निर्माण सम्बन्धी परिवर्तन परिवर्द्धन या नवीनीकरण के बाद न कि वार्षिक निरीक्षण के समय किये गये वाष्प पाइपों के निरीक्षण का शुल्क 300 रू0 है।

किसी निरीक्षक द्वारा दौरे से भिन्न किए गए निरीक्षक के लिये देय शुल्क उपर्युक्त धनराशि और अवस्थान परिव्यय 150 रू0 प्रतिदिन होगा और उसके अतिरिक्त यात्रा—व्यय होगा, जो कानपुर से ब्वायलर स्थल के निकटतम रेलवे स्टेशन तक दूरी के अनुसार विभिन्न होगा और वह निम्नलिखित होगा :—

कानपुर से किलोमीटर	
1 से 100 किलोमीटर	300 रूपया
अतिरिक्त 50 किलोमीटर या उसके भाग के लिए	150 रूपया

उत्तर प्रदेश ब्वायलर नियमावली, 1969 के उद्धरण

नियम 3— अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये विनियमों या नियमों के अधीन देय समस्त शुल्क या परिव्यय किसी सरकारी कोषागार या स्टेट बैंक आफ इण्डिया में जमा किए जायेंगे। सरकारी ब्वायलरों का शुल्क जो एक सौ रूपये से अधिक हो खाता नामे (बुक डैविट) द्वारा समायोजित किया जा सकता है।

ऐसे प्रार्थना–पत्र के सम्बन्ध में जिसके साथ कोषागार रसीद हो, यह समझा जायेगा कि उसके साथ नियत शुल्क है।

टिप्पणी– ब्वायलरों के निरीक्षण के लिए प्रार्थना–पत्र प्रपत्र 'ग' में भेजे जाने चाहिए, जिनके साथ नियत शुल्क की कोषागार रसीद भी हो और ये मुख्य ब्वायलर निरीक्षक, उ0प्र0, कानपुर के कार्यालय में ऐसे समय से पहुंच जाने चाहिए जैसा कि नीचे नियत जमा किया गया है :–

(1) दौरे के माह में ब्वायलरों का निरीक्षण––जिस माह में उस विशेष जिले का ब्वायलरों के निरीक्षण के लिए नियम 13(2) में दिए गये दौरे के कार्यक्रम में निर्धारित हो, उसके पूर्ववर्ती माह के प्रथम दिनांक को।

(2) दौरे के माह से भिन्न माह में ब्वायलरों का निरीक्षण––प्रमाण–पत्र या अनन्तिम आदेश की समाप्ति के दिनांक से तीन दिन पहले।

(3) कानपुर के जिले में ब्वायलरों का निरीक्षण––प्रमाण–पत्र या अनन्तिम आदेश की समाप्ति के दिनांक से तीस दिन पहले।

नियम–6 (3) यदि स्वामी दिए गए प्रमाण–पत्र में उल्लिखित अवधि के समाप्ति के पश्चात् अपने ब्वायलर को नहीं चलाना चाहता है तो वह इस बात की सूचना उक्त दिनांक के पूर्व मुख्य ब्वायलर निरीक्षक, उत्तर प्रदेश, कानपुर को देगा। ऐसा न करने पर उसे अगले निरीक्षण पर नियमों के अधीन नियत शुल्क के साथ–साथ अप्रमाणित अवधि (जिसकी गणना अन्तिम प्रमाण–पत्र की समाप्ति के दिनांक से सूचना देने के दिनांक तक की जायगी) का भी शुल्क देना पड़ेगा, भले ही अप्रमाणित अवधि में ब्वायलर न चला हो। यदि स्वामी बदल जाये तो नए स्वामी को अगले निरीक्षण पर ब्वायलर निरीक्षण के प्रार्थना–पत्र के साथ नियमों के अधीन नियत शुल्क तथा अप्रमाणित अवधि का शुल्क भी देना पड़ेगा।

नियम–13, टिप्पणी–(1) निम्नलिखित दौरे के कार्यक्रम का तब तक पालन किया जायेगा जब तक कि उसमें सरकारी गजट में या किसी अन्य प्रकार से, जो वांछनीय समझा जाय प्रकाशित राज्य सरकार के आदेश से परिवर्तन न कर दिया जाय :–

दौरे का कार्यक्रम

माह	जिला
जनवरी	सोनभद्र
फरवरी	सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, उन्नाव, मिर्जापुर, रायबरेली और कानपुर देहात
मार्च	झांसी, हमीरपुर, जालौन, गाजीपुर, ललितपुर और महोबा
अप्रैल	आजमगढ़, फैजाबाद, फर्रूखाबाद, मथुरा, मऊ, कन्नौज, अम्बेडकरनगर, संत रविदास नगर और चंदौली
मई	इटावा, फतेहपुर, जौनपुर, मुरादाबाद, ज्योति फूले नगर और औरेया
जून	गोण्डा, बहराइच, बस्ती, बदायूं, अलीगढ़, बिजनौर, सिद्धार्थनगर, महामाया नगर, कबीरनगर, श्रावस्ती और बलरामपुर
जुलाई	सहारनपुर, बाराबंकी, हरदोई, सीतापुर, गौतमबुद्ध नगर और बागपत
अगस्त	बुलन्दशहर, एटा, शाहजहांपुर, रामपुर और फिरोजाबाद
सितम्बर	देवरिया, बलिया, मैनपुरी, महाराजगंज और कुशीनगर (पडरौना)
अक्टूबर	बांदा, पीलीभीत, खीरी, मुजफ्फरनगर और शाहूजी महाराज नगर
नवम्बर	कौशाम्बी
दिसम्बर	,,,,,,,,,,,,,,

(2) कानपुर में निरीक्षण वर्ष भर किये जाते हैं।

(3) (क) आइस फक्टरी ब्वायलरों, रोड रोलर ब्वायलरों का निरीक्षण जनवरी, फरवरी, नवम्बर और दिसम्बर में किया जायेगा।

(ख) शक्कर के कारखाने के ब्वायलरों, जिनके लिए दौरे का महीना जून से अक्टूबर होगा, की दशा में विशेष रियायत दी जाती है। स्वामी ऊपर लिखित दौरे से के महीने में उस माह को जिसको वह चुने और जिसमें वह प्रत्येक वर्ष अपने ब्वायलर का निरीक्षण कराना चाहता हो, लिखित सूचना मुख्य ब्वायलर निरीक्षक, उत्तर प्रदेश, कानपुर को देगा। इस प्रकार चुना गया माह उसके मामले में दौरे का महीना माना जायेगा।

इण्डियन ब्वायलर रेगुलेशन्स, 1950 के विनियम 4 के उद्धरण

ब्वायलरों के पंजीयन के लिए प्रार्थना–पत्र के साथ आवश्यक शुल्क को कोषागार रसीद या बी0 टी0 बिल और निम्नलिखित होने चाहिए :–

(क) फार्म 2––निरीक्षण प्राधिकारी का प्रमाण–पत्र, (ख) फार्म 3––निर्माण एवं परीक्षण करने का निर्माता का प्रमाण–पत्र, (ग) फार्म 4––स्टील बनाने वाले का प्रमाण–पत्र, (घ) विस्तृत रूप में स्केल्ड, ड्राइंग, (ड.) फार्म 3–ए––वाष्प पाइपों के निर्माण एवं परीक्षण का प्रमाण–पत्र, (च) फार्म 3–बी––ट्यूबों के निर्माण एवं निरीक्षण का प्रमाण–पत्र, (छ) फार्म 3–सी––वाल्व्स एवं फिटिंग्स का प्रमाण–पत्र।